DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)
Room No.31, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. DD/PC/DUSIB/D- 185 **dated:** 29/07/21

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o UN Starred question no. 88 dated 30/07/2021.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un-Starred question no. 88 raised by Sh.Prakash Jarwal, Hon'ble MLA, duly approved by the Competent Authority. This reply is being sent on the basis of telephonic massage received from Sh. Rajinder Singh,Sr. Assistant of Urban Development Deptt. GNCTD.

Deputy. Director(PC)
Phone No. 23370455

Copy to:-

1. Director(DIP) along with **150 copies.**
2. **The Dy. Secretary (PC),Urban Development Deptt.,GNCTD, 9th Floor, Wing, Delhi Sachivalaya, New Delhi-110002.**

Deputy. Director(PC)
Phone No. 23370455

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
संसद कक्ष

पुनर्वास भवन, कमरा न0-31
आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या- 88
दिनांकः 30/07/2021
प्रश्नकर्ता का नामः श्री प्रकाश जारवाल

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दक्षिणपुरी एक्सटेंशन, ब्लाक 8 से 13 के बीच, कोल डिपो 1 और 1ए पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ हैः तथा उक्त डिपो का 2017-18 में एक सर्वे कराया गया था तथा उक्त प्लाट पर विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों को अधिसूचित किया गया था,	यह सत्य है। सन 2017 में एक सयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमे दोनों कोल डिपो में अवैध निर्माण, व्यसायिक प्रयोग आदि पाया गया था.
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि दक्षिणपुरी एक्सटेंसन, ब्लाक 8 से 13 में कोल डिपो 3 और कोल डिपो 4 अब वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुके ,	**DUSIB** द्वारा 2016 में माननीय उपाध्यक्ष , **DUSIB** बोर्ड के आदेशानुसार सभी कोल डिपो का आवंटन रद्द कर दिया गया था लेकिन कुछ लोग न्यायलय में चले गए थे। माननीय न्यालय ने आदेश दिया कि **DUSIB** उनको कानून के नियम का पालन करते हुए कार्यवाही करे। अतः विभाग द्वारा सभी को **DUSIB Act, 2010** के सेक्शन 41 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये। कोल डिपो न० 3 (ब्लॉक 8 से 13 के बीच) ही विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। (कोल डिपो न० 4 **DUSIB** के रिकॉर्ड में नहीं है।) सन 2018 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मौका निरीक्षण के दौरान यह जगह खाली दर्शायी गई है। हाँ, वर्तमान में इन भूखंडों को वाणिज्यिक (कबाड़ी एवम ऑटो वर्कशॉप) के तोर पर प्रयोग किया जा रहा है।
(ग)	यदि हां, तो इन डिपो के लिये अभी तक कोई विभागीय सर्वे क्यों नहीं किया गया है,	सन 2017 व 2018 में सयुक्त निरीक्षण हुआ था।

(घ)	यथा अधिसूचित, कोल डिपो 1 और 1ए के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है,	कोल डिपो प्लॉट न० 1 व 1 ए के काबिजो के विरुद्ध **DUSIB Act**, 2010 के सेक्शन 41 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके है। कृपया (ख) भी देखे।
(ड)	इन डिपोज को अभी तक विभागिय नियंत्रण में क्यों नहीं लिया गया है, जबकि आवंटियों ने स्पष्ट रूप से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया है, व अतिक्रमण को हटाया क्यों नहीं गया है, और	माननीय उच्च न्यायालय में कोल डिपो से सम्बंधित एक केस में (**Smt. Shanti Devi V/s Govt. of NCT of Delhi & Ors.**) में कहा है कि **"while a lessee acquires interest in property, a licensee does not. The licensee occupies the premises only on the basis of permission granted by the grantor and acquires no rights, title or interest in the property. Once the licensee is revoked, the licensee does not have any right to continue in occupation of the premises and is liable to be evicted".** इसके पश्चात सभी जे० जे० आर कॉलोनी के कोयला डिपो के काबिजों को माननीय उपाध्यक्ष, **DUSIB** के आदेशानुसार रद्द किये गये। परन्तु कुछ लोग माननीय न्यायालय में चले गए थे अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए **DUSIB Act**, 2010 के सेक्शन-41 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गए। इसी दौरान माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के पास कुछ लोगो ने कोल डिपो के नियमित करने के लिए निवेदन किया जिस के पश्चात **DUSIB** बोर्ड की 23वी बोर्ड की बैठक में पॉलिसी बनाने हेतु एक एजेंडा लगाया गया था। जिसमे बोर्ड ने **DUSIB** को एक पूरी पॉलिसी बनाकर बोर्ड में दुबारा लगाने का निर्देश दिया। यहां पर यह भी सूचित किया जाता है कि पॉलिसी का अंतिम निर्णय भारत सरकार के आधीन है। कृपया (घ) का उत्तर देखें।
(च)	मुख्य अभियंता श्री ओ पी श्री वास्तव इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे है, कही इससे कोई आर्थिक या निजी लाभ तो नहीं जुड़े है ?	यह मामला दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से संबंधित नहीं है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (संसद प्रकोष्ट)

उप-सचिव(प्रश्न शाखा), पुराना सचिवालयए दिल्ली-110054.